<u>शुद्धिपत्र/सूचना</u>

कृपया दि.वि.प्रा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित विभिन्न खेलों में कोचिंग उपलब्ध कराने के सूचना आमंत्रण प्रस्ताव के बारे में दैनिक समाचार-पत्र अर्थात् दैनिक जागरण तथा हिदुस्तान टाइम्स के 28.12.2022 के अंक में प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ लें, इस विज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि विस्तृत प्रस्ताव यानी तकनीकी बिड तथा फाइनेंशल बिड, 07.01.2023 तक जमा की जाएं। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि तकनीकी बिड तथा फाइनेंशल बिड के विस्तृत प्रस्ताव दिनांक 07.01.2023 के बजाय **21.01.2023** तक जमा किए जाएं।

आयुक्त (खेल)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
खेल विंग: समन्वय शाखा
सीरीफोर्ट खेल परिसर, अगस्त्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049

दि.वि.प्रा. खेल परिसरों में कोचिंग सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण सूचना।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (खेल विंग) विभिन्न खेलों में कोचिंग देने के लिए प्रोफेशनल खेल कोच/एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिनके लिए दिल्ली स्थित दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों में सुविधाएं रेवेन्यु शेयरिंग आधार पर उपलब्ध हैं।

विस्तृत पात्रता मानदंड, निबंधन एवं शर्तें, चयन प्रणाली आदि के लिए कृपया दि.वि.प्रा. की बेबसाइट www.dda.gov.in ("पब्लिक नोटिस" और "टेंडर" वेब पेज) देखें। विवरण दि.वि.प्रा. के किसी भी खेल परिसर से भी प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत प्रस्ताव (अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) सचिव (समन्वय), खेल शाखा, सीरी फोर्ट खेल परिसर, अगस्त्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 को दिनांक 21/01/2023 तक भेजा जाना चाहिए। इस प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत न की जाने वाली बोलियों को रद्द कर दिया जाएगा।

आयुक्त (खेल)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
खेल विंग: समन्वय शाखा
सीरीफोर्ट खेल परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049

विषय: दि.वि.प्रा. खेल परिसरों में कोचिंग सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रण सूचना।

पृष्ठभूमि:

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण (खेल विंग) द्वारा विभिन्न खेलों के लिए कोचिंग देने हेतु पेशेवर खेल कोच/एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनके लिए दिल्ली स्थित दि.वि.प्रा. में खेल परिसरों में सुविधाएं रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर उपलब्ध हैं।
2. वर्तमान में, दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्नलिखित खेल परिसरों का संचालन करता है, जिनमें सदस्यों के आश्रितों को छोड़कर 52018 से अधिक सदस्य हैं और लगभग 203800 व्यक्तियों द्वारा इनका प्रतिदिन उपयोग किया जाता है । इन खेल परिसरों में 5700 से अधिक प्रशिक्षुओं सहित लगभग 160 कोचिंग स्कीमों का प्रचालन किया जाता है।

(1.) चिल्ला खेल परिसर
(2.) राष्ट्रमण्डल खेल गांव खेल परिसर
(3.) पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, दिलशाद गार्डन
(4.) यमुना खेल परिसर, सूरजमल विहार
(5.) राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा
(6.) रोहिणी खेल परिसर
(7.) मेजर ध्यानचंद खेल परिसर, अशोक विहार
(8.) साकेत खेल परिसर
(9.) सीरी फोर्ट खेल परिसर
(10.)स्क्वॉश एवं बैडमिंटन स्टेडियम, सिरी फोर्ट
(11.)वसंतकुंज खेल परिसर
(12.)नेताजी सुभाष खेल परिसर, जसोला
(13.)द्वारका खेल परिसर, सेक्टर-11
(14.)हरि नगर खेल परिसर
(15.)पश्चिम विहार खेल परिसर
(16.)द्वारका खेल परिसर, सेक्टर-17

3. उपर्युक्त खेल परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं में सदस्यों के साथ-साथ गैर-सदस्यों को भी कोचिंग दी जाती है। दि.वि.प्रा. आधारिक संरचना उपलब्ध करवाता है और साथ ही सुविधाओं का रख-रखाव करता है, जबकि पेशेवर कोच/कोचिंग एजेंसियां कोचिंग देते हैं।

<u>**निबंधन एवं शर्तें:**</u>

4. कोचिंग रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। सभी आउटडोर कोचिंग के लिए कोचिंग शुल्क का अंश (शेयर) कोच/एजेंसी और दि.वि.प्रा. के बीच क्रमश: 60:40 होगा। तथापि, उन सुविधाओं के लिए जिनमें दि.वि.प्रा. अधिकतर प्रशिक्षण सामग्री और इनडोर सुविधाएं उपलब्ध कराता है, शेयरिंग का अनुपात 50:50 होगा।

5. प्राशिक्षुओं में से कम से कम 10 प्रतिशत ऐसे प्रशिक्षुओं को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं और जो खेल में अच्छी क्षमता रखते हैं, को कोच/कोचिंग एजेंसियों द्वारा अनिवार्य नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे कोचिंग अनुबंधों को बढ़ाया नहीं जाएगा, जिनमें कोच/कोचिंग एजेंसी द्वारा प्रशिक्षुओं की न्यूनतम संख्या को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान नहीं की गई हो। यदि प्रबंधन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की कोचिंग हेतु प्रशिक्षुओं की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक को कोचिंग प्रदान करना उपयुक्त समझता है, तो अनिवार्य 10 प्रतिशत से अधिक आर्थिक पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षुओं की अतिरिक्त संख्या के लिए कोच/एजेंसियों को शुल्क का भुगतान प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।

6. आवश्यकताओं और सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार कोचिंग प्रदान करने के सप्ताह के दिन और समय प्रबंधन द्वारा निश्चित किए जाएंगे।

7. पेशेवर कोच/कोचिंग एजेंसियों को प्राथमिकता के क्रम में खेल परिसर की प्राथमिकता दर्शाते हुए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए। प्रस्ताव में कोच/सहायक कोच, जो कोचिंग देने में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहेंगे, की योग्यताएं, अनुभव और कोच/अथवा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में अपनी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण देना चाहिए। कोचिंग के क्षेत्र में प्राप्त पुरस्कारों का ब्यौरा और प्रशिक्षुओं की उपलब्धि भी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

8. एजेंसी (यदि आवेदक एक एजेंसी है न कि कोई व्यक्ति) के पास उस खेल में कोचिंग देने का कम से कम 5 वर्ष का पूर्व अनुभव होना चाहिए जिसके लिए उसने आवेदन किया है। संलग्न किया जाने वाला कोचिंग का अनुभव क्लबों, सरकारी पंजीकृत स्कूलों/कॉलेजों/अन्य शैक्षणिक संस्थानों, स्पोर्ट्स फेडरेशन्स, सरकारी निकायों आदि से होना चाहिए। यदि आवेदक कोई व्यक्ति है तो वह मुख्य कोच होना चाहिए।

9. यदि मुख्य कोच और सहायक कोचों सहित अन्य कोचों का विवरण एक से अधिक एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इन एजेंसियों की बोलियों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कोच, सहायक कोच और सहायक स्टाफ को यह शपथपत्र देना होगा कि वे केवल किसी विशेष एजेंसी के कोचिंग प्रोग्राम का ही हिस्सा बनेंगे, किसी अन्य एजेंसी का नहीं।

10. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-अनुप्रमाणित होंगे। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए कोच के बायो-डाटा और प्रमाण-पत्र कोच और सहायक कोच द्वारा स्व-अनुप्रमाणित होंगे।

11. किसी भी खेल में किसी कोच/कोचिंग एजेंसी को अधिकतम दो खेल परिसर सौंपे जाएंगे।

12. प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक और शाम 6.00 बजे से 8.00 बजे के तक व्यस्त घण्टों के दौरान खेल परिसरों में खेल सुविधाएं कोचिंग के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इस समय के दौरान सुविधाओं का उपयोग विशेष रूप से सदस्यों द्वारा किया जाएगा । हालांकि, परिसर के सचिव के आकलन के पश्चात् यदि कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हो, तो इन घण्टों के दौरान भी कोचिंग की अनुमति प्रदान की जा सकती है, जो सशर्त दी जाएगी।

13. प्रत्येक खेल परिसर में प्रत्येक खेल में सामान्यतः कोचिंग के एक विशेष स्तर के लिए केवल एक कोचिंग अनुबंध किया जाएगा । तथापि, उसी खेल में विभिन्न स्तरों की कोचिंग के लिए अर्थात् बुनियादी, मध्यवर्ती और उन्नत (एडवांस) कोचिंग के लिए किसी विशेष परिसर में भिन्न कोच/एजेंसियां हो सकती हैं। तथापि, खेल परिसर में सुविधाओं की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर कोचिंग के किसी भी स्तर पर एक से अधिक कोचिंग अनुबंध भी किए जा सकते हैं।

14. सभी खेल परिसरों में सदस्यों और गैर सदस्यों के लिए कोचिंग दरों में अंतर को गैर सदस्यों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क द्वारा एक समान किया जाएगा ।

15. सदस्यों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रस्तावित मासिक शुल्क को प्रस्ताव की वित्तीय बोली में अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। सदस्यों की अपेक्षा गैर सदस्यों के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा। कोचिंग शुल्क पर लागू जी.एस.टी. वसूल किया जाएगा। सदस्यों से वसूल किया जाने वाला प्रस्तावित मासिक शुल्क अनुलग्नक-III में दिए गए प्रपत्र के अनुसार अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा किया जाना चाहिए। तथापि, मासिक कोचिंग शुल्क के अतिरिक्त कोच/एजेंसियों को कोई

रिफंडेबल/नॉन-रिफंडेबल प्रवेश-शुल्क वसूल करने की अनुमति नहीं होगी। कोचिंग शुल्क संबंधित खेल परिसर द्वारा इकट्ठा किया जाएगा और कोच/एजेंसी के हिस्से की राशि अगले माह के 7वें दिन अथवा इससे पहले परिसर द्वारा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा भेज दी जाएगी। प्रशिक्षुओं से एक बार केवल एक माह के लिए अग्रिम कोचिंग शुल्क वसूल किया जाएगा।

16. किसी विशेष खेल में कोचिंग के समान स्तर के लिए दरें खेल परिसर के स्थान और सदस्यता प्रोफाइल के अनुसार विभिन्न परिसरों में तुलनीय होंगी।

17. कोच/एजेंसियों को अपने प्रस्ताव में अतिरिक्त इनपुट्स, ट्रेनिंग एड और खेल के सामान की लागत के विवरण को स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक होगा, जो वे प्रशिक्षुओं को उनके अनुरोध पर उपलब्ध करवाना चाहते हैं। इन इनपुट्स, सामान आदि के लिए विनिर्दिष्टियां और दरें परिसर के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित करवाई जानी अपेक्षित है और इन्हें खेल परिसर के नोटिस बोर्ड पर दर्शाने के साथ-साथ कोचिंग अनुबंध में भी उल्लिखित करना होगा। इसमें उल्लिखित मदों के अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को भुगतान आधार पर कोई भी अन्य सामान उपलब्ध नहीं करवाया जा सकेगा। अनुमोदित मदों की दरों में किसी परिवर्तन के लिए कोच/एजेंसी द्वारा प्रबंधन की ओर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। इन अनुमोदित मदों का भुगतान सीधे कोच/एजेंसियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और इनमें से राजस्व के किसी भाग का भुगतान दि.वि.प्रा. को करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें किसी भी विचलन को अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और कोचिंग अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए समीक्षा के समय इस पर विचार किया जाएगा।

18. हेड कोच, कोच और सहायक कोच जिनके नाम एन.आई.पी. हेतु बोली लगाते समय प्रस्ताव में शामिल किए हैं, यदि एजेंसी को कोचिंग करार दे दिया जाता है तो यह वर्णन करते हुए एक पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे एजेंसी के लिए कोच के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध और इच्छुक हैं। कोच/एजेंसी उनके कोचिंग प्रस्ताव में प्रस्तुत किए गए हेड कोच में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सहायक कोच और सपोर्ट स्टाफ में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए परिसर के सचिव से अनुमोदन लेना पड़ेगा। स्टाफ को ऐसे स्टाफ से बदल दिया जाएगा जिनके पास आरंभिक प्रस्ताव, जिसका मूल्यांकन किया गया था, में वर्णित के समान अर्हता और अनुभव हो। इसका अनुपालन न करने पर कोचिंग करार समाप्त कर दिया जाएगा।

19. प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पहुंचने वाली किसी भी चोट, मृत्यु आदि के लिए कोच/एजेंसियां दि.वि.प्रा. को क्षतिपूर्ति करेंगी।

20. प्रशिक्षुओं द्वारा ऐसी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, जो दिविप्रा द्वारा अनुमोदित नहीं हे, केवल कोच/एजेसिंयां उत्तरदायी होंगे/होंगी।

21. कोच/अकादमियों को अपनी अकादमियों को नाम देने/ब्रांडिग करते समय दिविप्रा का नाम शामिल करने की अनुमति होगी।

22. कोचिंग के लिए क्लब की ओर से किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23. सभी प्रशिक्षुओं को कोचिंग की निबंधन एवं शर्तों के विवरण सहित एक फार्म भरने की आवश्यकता होगी और प्रशिक्षण के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई चोट लगने, मृत्यु होने आदि के लिए दिविप्रा को क्षतिपूर्ति भी करनी होगी।

<u>प्रस्तावों का मूल्यांकन:</u>

24. मूल्यांकन पूर्णतया समर्थित दस्तावेजों के आधार पर होगा और अर्हता, अनुभव और उपलब्धियों के सभी कथन केवल तभी मार्क किए जाएंगे जब सहायक दस्तावेज इस प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत कर दिए गए हों।

25. प्रत्येक खेल परिसर में किसी विशेष खेल की कोचिंग के लिए प्राप्त किए गए सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाएगा। यह मूल्यांकन कोच और सहायक उपलब्धियों, कोचिंग के लिए उपयोग के किए जाने वाले प्रस्तावित तकनीकी उपकरण ओर प्रशिक्षण किट, प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की विधि और प्रगति की निगरानी करना आदि के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन कुल 80 अंक का होगा। वित्तीय बोलियां केवल उन कोच/एजेंसियां की खोली जाएंगी, जो तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन में 80 अंकों में से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करेंगे। वित्तीय बोली के 20 अंकों का मूल्यांकन निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार किया जाएगा:-

$$\frac{\text{एल} \times 20}{\text{दर}}$$

'एल' उस कोच/एजेंसी द्वारा जमा किया गया न्यूनतम कोचिंग शुल्क हे, जिसकी वित्तीय बोली खोली गई है 'दर' उस कोच/एजेंसी द्वारा जमा किया गया कोचिंग शुल्क है, जिसकी वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जा रहा है। वित्तीय बोली के मूल्यांकन का उदाहरण निम्नानुसार है:-

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई कोचिंग दर	वित्तीय बोली के लिए कुल 20 में से अंक
1000/- रू. प्रति माह (न्यूनतम वित्तीय बोली)	20

1500/- रू. प्रति माह	13
2000/- रू. प्रति माह	10
2500/- रू. प्रति माह	8
3000/- रू. प्रति माह	6

26. कोचिंग ऐसे कोच/एजेंसी को दी जाएगी, जिन्होंने तकनीकी बोली और वितीय बोली में उच्चतम सम्मिलित अंक प्राप्त किए होंगे। यदि एजेंसियां/कोच को कुल अंक एक समान प्राप्त होते हैं, तो कोचिंग उस एजेंसी को दी जाएगी, जिसने तकनीकी बोली में उच्चतम अंक प्राप्त किए होंगे।

<u>अन्य निबंधन एवं शर्तें:-</u>

27. कोचिंग को एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर अवार्ड की जाएगी, जिसे अधिकतम कुल पांच वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। तथापि, असंतोषजनक कार्य निष्पादन अथवा अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर कुल पांच वर्ष की अवधि से पूर्व ही कोचिंग अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

28. प्रस्तावित प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात का उल्लेख प्रस्ताव में किया जाना चाहिए। सभी प्रस्तावों में सभी कोच, सहायक कोच और सहायक कर्मचारियों के पासपोर्ट आकार के फोटो, पहचान प्रमाण, फोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर और आवासीय पते सहित विस्तृत प्रोफाइल दिया जाना चाहिए। उन संस्थानों से कोच/एजेंसियों का कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जहां वे वर्तमान में कोचिंग प्रदान कर रहे हों अथवा विगत में कोचिंग प्रदान कर चुके हों।

29. अनुबंध को बढ़ाने के लिए वार्षिक आधार पर अधिकतम पांच वर्ष की अवधि की शर्त पर विचार किया जाएगा। प्रशिक्षुओं, उनके माता-पिता/अभिभावकों से प्राप्त फीडबैक, प्रशिक्षण के दौरान कोच की उपलब्धता, प्रशिक्षुओं की उपलब्धियों, प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षक-प्रशिक्षु अनुपात, राजस्व सृजन, प्रशिक्षण सहायता, उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण और तकनीक तथा खेल परिसर के नियमों और विनियमों के अनुपालन के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

30. छात्रों के लिए नियमित कोचिंग के अतिरिक्त, विशेष कोचिंग कैंप, विशेष रूप से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पूर्व अनुमोदन की शर्त पर आयोजित किए जा सकते हैं।

31. दि.वि.प्रा. द्वारा कोचिंग हेतु आबंटित आधारिक संरचना का उपयोग केवल कोचिंग के लिए ही किया जाएगा और उसमें कोई अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।

32. यदि प्रशिक्षण उपकरणों को रखने के लिए स्थान की जरूरत पड़ती है तो प्रस्ताव में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। तथापि, यदि इस प्रकार का स्थान उपलब्ध है तो इसे आपसी सहमति की निबंधन एवं शर्तों पर, दि.वि.प्रा. के निर्णय पर प्रदान किया जाएगा।

33. सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जिस कोचिंग के लिए प्रस्ताव देना चाहते हैं, उसके लिए खेल परिसर में उपलब्ध सुविधाओं को देख लें और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी क्षमता का मूल्यांकन करें। इस संबंध में बाद में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

34. बोली में पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए और प्रस्ताव में शामिल कुल पृष्ठ संख्या को कवरिंग लेटर में दर्शाया जाना चाहिए। यदि कोई अनुलग्नक संलग्न नहीं पाया जाता है, तो दि.वि.प्रा. इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

35. यदि कोच अथवा कोई सहायक कोच अथवा सहायक कर्मचारी वर्तमान में किसी सरकारी विभाग, सरकारी उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में कार्यरत हैं, तो संबंधित संगठन से वैतनिक कोचिंग (पेड कोचिंग) संचालित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है और बाद में यह जानकारी में आता है कि किसी व्यक्ति ने अनधिकृत वैतनिक कोचिंग संचालित की है, तो कोचिंग अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

36. जी.एस.टी. पंजीकरण का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथापि, यदि कोच/एजेंसी की वार्षिक आय 20 लाख रू. से कम है तो कोच/एजेंसी जी.एस.टी. पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। तथापि, जब भी टर्नओवर 20 लाख रू. से अधिक हो जाएगा, तो जी.एस.टी. पंजीकरण तत्काल प्राप्त करना होगा। इस संबंध में कोच/एजेंसी द्वारा एक वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

37. हैड कोच व्यक्तिगत रूप से कोचिंग प्रदान करनी चाहिए। ऐसा नहीं किया जाता है, तो कोचिंग का वार्षिक विस्तार नहीं किया जाएगा।

38. तकनीकी बोलियाँ अनुलग्नक-I एवं II के अनुसार तथा वित्तीय बोलियां अनुलग्नक-III के अनुसार प्रस्तुत की जाएँ । तकनीकी और वित्तीय बोलियाँ दो अलग मुहरबंद लिफाफों में ऊपर क्रमशः ''तकनीकी बोली'' और ''वित्तीय बोली'' लिखकर कोच/एजेंसी के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की जाएँ। ये दोनों मुहरबंद लिफाफे एक पृथक मुहरबंद लिफाफे में रखे जाएँ, जिसके ऊपर ''..................................(खेल परिसर/रों) में .... (खेल) के लिए कोचिंग हेतु बोली'' लिखा होना चाहिए।

39. उक्त सभी पहुलओं सहित विस्तृत प्रस्ताव सचिव (समन्वय), खेल विंग, सिरी फोर्ट खेल परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110049 को दिनांक 21/01/2023 तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, कोई स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, तो दि.वि.प्रा. द्वारा पूछा जा सकता है।

आयुक्त (खेल)

अनुलग्नक-I

तकनीकी बोली

कोचिंग हेतु प्रस्ताव का विवरण

क्र.स.	विवरण	विवरण
1.	नाम	
2.	पंजीकृत पता	
3.	प्रोपराइटर/निदेशक/प्रशासनिक प्रमुख/कोच का नाम	
4.	स्वामित्व का प्रकार	प्रोपराइटरी/साझेदारी/कंपनी/एल एल पी
5.	उपर्युक्त के समर्थन में प्रमाण	इसके समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें और दस्तावेजों की सूची यहाँ संलग्न करें।
6.	खेल	यहाँ केवल एक खेल की सूची दें। यदि एक से अधिक खेल के लिए आवेदन दिया गया हो तो अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए।
7.	प्रस्तावित कोचिंग का स्तर/प्रकार	स्तर की सूची दें और यदि एक से अधिक स्तर की पेशकश की गई हो, तो खेल के लेवल (स्तर) में क्या अंतर है, उसे विस्तार से बताएं।
8.	कोचिंग के दिनों/सप्ताह की संख्या और प्रस्तावित कोचिंग का समय (एन.आई.जी में यथा उल्लिखित)	
9.	कोचिंग का पूर्व-अनुभव	पूर्व अनुभव के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें और यहाँ संलग्न दस्तावेजों को सूचीबद्ध करें।
10.	कोचिंग देने वाले कोच/सहायक कोच/सहायक कर्मचारियों के नाम	यदि आवश्यक हो, तो अनुलग्नक संलग्न करें और उसकी सूची यहाँ दें।
11.	प्रमुख कोच की योग्यता	
12.	सहायक कोच की योग्यता	
13.	कोर्ट की संख्या/अपेक्षित आधारिक संरचना	कोर्ट/खेल मैदानों के संबंध में आवश्यक आधारिक संरचना उपयोग हेतु प्रस्तावित अवधि और प्रस्तावित समय को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।
14.	वरीयता के क्रम में खेल परिसर की प्राथमिकता	प्राथमिकता के क्रम में सूची । में किसी भी संख्या का दिया जा सकता है, किंतु आबंटन निबंधन एवं शर्तों के

		दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
15.	**प्रस्तावित प्रशिक्षक/प्रशिक्षु अनुपात**	
16.	**प्रशिक्षण के साधन/उपलब्ध कराए जाने वाले उपकरण**	

स्थानः

तिथिः

आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

प्रतिष्ठान की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरित का पूरा नाम और हस्ताक्षर (एजेंसी के मामले में)

पताः

ई-मेलः

मोबाइल नम्बर/लैंड लाइन नम्बरः

<u>अनुलग्नक-II</u>

तकनीकी बोली

जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच-सूची (चैक लिस्ट)

क्र.सं.	जमा किए जाने वाले दस्तावेज	जमा किए गए	टिप्पणियां
1.	फर्म के पंजीकरण की प्रति (एजेंसी के मामले में)		लागू दस्तावेज संलग्न करें अथवा बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं।
2.	ई.पी.एफ. के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)		लागू दस्तावेज संलग्न करें अथवा बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं।
3.	ई.एस.आई. के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति (एजेंसी के मामले में)		लागू दस्तावेज संलग्न करें अथवा बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं।
4.	लेबर लाइसेंस की प्रति (एजेंसी के मामले में)		लागू दस्तावेज संलग्न करें अथवा बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं।
5.	पिछले 2 वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति		लागू दस्तावेज संलग्न करें अथवा बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं।
6.	जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रति		लागू दस्तावेज संलग्न करें अथवा बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं।
7.	पैन/टैन कार्ड की प्रति		लागू दस्तावेज संलग्न करें अथवा बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं।
8.	तिथि सहित ग्राहकों (क्लाइंट) की सूची		
9.	अनुभव का प्रमाण		
10.	चार्टेड अकाण्टेन्ट से पिछले 2 वर्ष का लेखा परीक्षित विवरण		लागू दस्तावेज संलग्न करें अथवा बताएं उपलब्ध नहीं या लागू नहीं।

स्थानः आवेदक का पूरा नाम और हस्ताक्षर

तिथिः

प्रतिष्ठान की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरित का पूरा नाम और हस्ताक्षर (एजेंसी के मामले में)

पताः

ई-मेलः

मोबाइल नम्बर/लैंड लाइन नम्बरः

अनुलग्नकःIII

वित्तीय बोली

1.	कोच/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पूरा नाम और एजेंसी का नाम	
2.	पता, मोबाइल फोन नम्बर ई-मेल आई.डी.	
3.	खेल का प्रकार, जिसमें कोचिंग दी जानी प्रस्तावित है।	
4.	खेल परिसरों के नाम (वरीयता के क्रम में, जहां कोचिंग दी जानी प्रस्तावित है)	
5.	प्रस्तावित कोचिंग हेतु प्रति सप्ताह दिनों की संख्या और समय (एन.आई.जी.के अनुसार)	
6.	ऊपर उल्लिखित प्रत्येक खेल परिसर (परिसरों) हेतु सदस्यों के लिए मासिक कोचिंग शुल्क (गैर-सदस्यों हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त कोचिंग शुल्क) (प्रस्तावित कोचिंग शुल्क का उल्लेख अंकों एवं शब्दों दोनों में होना चाहिए। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो शब्दों में दी गई दर पर विचार किया जाएगा।)	

तकनीकी बोलियों के निर्धारण (80 अंक) हेतु मूल्यांकन मानदंडः नृत्य के अतिरिक्त

उन कोच/सहायक कोच/सहायक कर्मचारियों के नाम, जो व्यक्तिगत रूप से कोचिंग देंगेः-

क्र.सं.	मानदंड	कुल अंक	महत्व/प्राथमिकता देना		दिए गए अंक	टिप्पणी
1.	कोच की तकनीकी योग्यता (एन.आई.एस.योग्यता प्राप्त/फेडरेशन अनुमोदित प्रमाण-पत्र/अंतर्राष्ट्रीय डिग्री/कोचिंग प्रमाण पत्र	15	एन. आई. एस. डिग्री/प्रमाण-पत्र	05		
			अंतर्राष्ट्रीय डिग्री/प्रमाण-पत्र	05		
			खेल/खेल विज्ञान में अतिरिक्त डिग्री/प्रमाण-पत्र	05		
2.	कोचिंग देने का अनुभव (वर्ष में)	15	5 वर्ष तक	05		
			5 से 10 वर्ष तक	05		
			10 वर्ष से अधिक	05		
3.	खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां	10	खेल में ऑफिशियल फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल ओपन चैम्पियनशिप में टॉप 3 रैंकिंग	04		
			खेल में ऑफिशियल फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय ऑपन मुकाबले में मेडल प्राप्त	04		
			खेल में द्रोणाचार्य/ अर्जुन/राजीव/मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अथवा समान स्तर के राष्ट्रीय अवार्ड/अंतर्राष्ट्रीय	02		

			मुकाबलों में मल्टीपल चैम्पियन			
4.	कोच के रूप में उपलब्धियां	15	खेल में ऑफिशियल फेटरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में ट्रेनी-मैडलिस्ट	05		
			खेल में ऑफिशियल फेटरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में ट्रेन-मैडलिस्ट	05		
			खेल में ऑफिशियल फेटरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में मल्टीपल ट्रेनीज-मैडलिस्ट	05		
5.	सहायक कोच और अन्य सहायक कर्मचारियों की तकनीकी योग्यता, अनुभव और उपलब्धियां	15	सहायक कोच की तकनीकी योग्यता	05		
			सहायक कोच का अनुभव	05		
			अन्य सहायक कर्मचारियों/सहायक कोच की तकनीकी योग्यता और अनुभव	05		
6.	कोचिंग में उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण साधन तथा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की प्रस्तावित विधि और प्रगति की निगरानी करना	10	तकनीकी उपकरण और प्रशिक्षण के साधन	05		
			प्रशिक्षण की विधि और प्रगति की निगरानी करना	05		
7.	कुल अंक	80				

तकनीकी बोलियों के निर्धारण (80 अंक) हेतु मूल्यांकन मानदंड : नृत्य

क्र. सं.	मानदंड	कुल अंक	महत्व/प्राथमिकता देना	अधिकतम अंक	प्रदान किए गए अंक	टिप्पणी
1.	एजेंसी का कोचिंग अनुभव (वर्षों में)	10	5 वर्ष तक	02		
			5-10 वर्ष	03		
			10 वर्ष से अधिक	05		
2.	एजेंसी द्वारा प्रत्येक 10 प्रशिक्षुओं के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षक/प्रशिक्षु अनुपात कोचिंग अनुभव सहित	10	केवल एक	02		
			दो तक	03		
			दो से अधिक	05		
3.	प्रमुख कोच की योग्यता	10	क्रियाकलाप/सह-क्रियाकलाप/खेल में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम	02		
			क्रियाकलाप/सह-क्रियाकलाप खेल में किसी अन्य राज्य /राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे कला अकादमी से	03		
			क्रियाकलाप में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से	05		
4.	सहायक कोच की योग्यता					
	(क) नाम	10	क्रियाकलाप/सह-क्रियाकलाप/खेल में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम	02		

			क्रियाकलाप/सह-क्रियाकलाप खेल में किसी अन्य राज्य /राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे कला अकादमी से	03		
			क्रियाकलाप में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से	05		
	(ख) नाम	10	क्रियाकलाप/सह-क्रियाकलाप/खेल में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम	02		
			क्रियाकलाप/सह-क्रियाकलाप खेल में किसी अन्य राज्य /राष्ट्रीय स्तर के संस्थान जैसे कला अकादमी से	03		
			क्रियाकलाप में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से	05		
5.	प्रमुख कोच की उपलब्धियाँ	10	राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी का स्तर	02		
			राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ	03		
			अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ	05		
6.	**सहायक प्रशिक्षक की उपलब्धियाँ**					
	(क) नाम	10	राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भागीदारी का स्तर	02		
	(ख) नाम	10	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ	03		
			अंतर्राष्ट्रीय स्तर की	05		

			प्रतियोगिताएँ			
	कुल अंक	**80**				

टिप्पणीः एजेंसी को क्वालिफाई करने के लिए 80 अंक में से कम से कम 50 अंक प्राप्त करने अपेक्षित हैं।

दि.वि.प्रा. के निम्नलिखित खेल परिसरों में विभिन्न खेलों/फिटनेस के क्षेत्र में कोचिंग हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव :

क्र सं	खेल परिसरों के नाम	एक सप्ताह में कोचिंग के लिए दिवसों की संख्या एवं कोचिंग समय सहित खेल / फ़िटनेस के क्षेत्र		
		खेल/फ़िटनेस के क्षेत्र	एक सप्ताह में कोचिंग के लिए दिवसों की संख्या	प्रत्येक कोचिंग के लिए समय
1.	सीरी फोर्ट खेल परिसर	कराटे	6 दिन	सायं4 बजे से 6 बजे
		आउटडोर योग	5 दिन	प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं सायं4 बजे से 9 बजे
		बच्चों की आउटडोर ट्रेनिंग	6 दिन	प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं सायं6 बजे से 7 बजे तक
		टेनिस	6 दिन	प्रातः 09.00 बजे से 07.00 बजे तक एवं एडवांस कोचिंग टाइमिंग प्रात:06.00 बजे से 09.00 बजे तक सायं07.00 बजे से 09.00 बजे तक
		मिनी टेनिस	3 दिन 6 दिन	सायं03.30 बजे से 05.30 बजे
2.	साकेत खेल	फिटनेस डांस/डांस	4 दिन	सायं04.00 बजे

	परिसर			से 06.00 बजे
		एरोबिक्स	5 दिन	सायं06.00 बजे से 07.00 बजे तक एवं प्रात:07.00 बजे से 09.00 बजे तक (शनिवार एवं रविवार)
		वॉलीवॉल	6 दिन	सायं04.00 बजे से सायं: 06.00 बजे तक
		शतरंज	5 दिन	सायं07.00 बजे से सायं08.00 बजे तक एवं प्रात:09.00 बजे से प्रात: 11.00 बजे तक (शनिवार एवं रविवार)
		कराटे	3 दिन	सायं05.00 बजे से साय 07.00 बजे तक
3.	नेताजी सुभाष खेल परिसर	वालीबॉल	5 दिन	(ग्रीष्मकाल) सायं 04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक (शीतकाल)

				सायं 03.30 बजे से सायं 05.30 बजे
		डांस	6 दिन	(ग्रीष्मकाल) प्रात:08.15 बजे से प्रात: 10.15 बजे तक एवं सायं 07.00 बजे से 09.00 बजे तक (शीतकाल) प्रात: 08.45 बजे से प्रात:10.45 बजे एवं सायं 06.30 बजे से सायं 08.30 बजे
		स्क्वॉश	6 दिन	ग्रीष्मकाल) सायं04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक (शीतकाल) सायं03.30 बजे सेसायं05.30 बजे
		कराटे	6 दिन	ग्रीष्मकाल) सायं 04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक (शीतकाल) सायं 03.30 बजे सेसायं 05.30 बजे
		जूडो	6 दिन	(ग्रीष्मकाल)

				सायं 04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक (शीतकाल) सायं03.30 बजे सेसायं05.30 बजे
4.	वसंत कुंज खेल परिसर	स्क्वॉश	3 दिन	सायं 03.30 बजे सेसायं 05.30 बजे (ग्रीष्मकाल एवं (शीतकाल)
		बास्केटबॉल	5 दिन	(ग्रीष्मकाल) सायं05.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक शीतकाल सायं04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		योग	6 दिन	प्रात:06.30 बजे से प्रात: 08.30 बजे तक एवं सायं05.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक
5.	हरि नगर खेल परिसर	कराटे	6 दिन	ग्रीष्मकाल सायं 06.00 बजे से सायं 07.00 बजे शीतकाल सायं 05.00 बजे से

				सायं 06.00 बजे
		फुटबॉल	6 दिन	ग्रीष्मकाल सायं 05.00 बजे से सायं 07.00 बजे शीतकाल सायं 04.00 बजे से सायं 06.00 बजे
6.	पश्चिम विहार खेल परिसर	एरोबिक्स	6 दिन	प्रात:07.00 बजे से प्रात: 09.00 बजे तक एवं सायं05.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक
		योग	6 दिन	प्रात:07.00 बजे से प्रात: 08.00 बजे तक एवं सायं05.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक
		टेबल टेनिस	6 दिन	सायं04.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक
		बैडमिंटन	6 दिन	सायं04.00 बजे से सायं 06.00बजे तक
		रोलर हॉकी	6 दिन	सायं07.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक
7.	द्वारका खेल	शून्य		

	परिसर			
8.	द्वारका खेल परिसर सेक्टर-17	एरोबिक्स	3 दिन	सायं05.30 बजे से सायं 07.30 बजे तक
		क्रिकेट	5 दिन	ग्रीष्मकाल सायं 04.00 बजे से सायं 06.00 बजे शीतकाल सायं 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे
		बैडमिंटन	5 दिन	सायं03.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		टेबल टेनिस	5 दिन	सायं04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		स्क्वॉश	5 दिन	सायं04.00 बजे से सायं 06.00बजे तक
		बॉक्सिंग	6 दिन	प्रात:09.00 बजे से प्रात: 11.00 बजे तक एवं सायं04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		शूटिंग	6 दिन	प्रातः11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक

		हॉकी	3 दिन	ग्रीष्मकाल सायं 04.00 बजे से सायं 06.00 बजे शीतकाल सायं 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे
		फुटबॉल	3 दिन	ग्रीष्मकाल सायं 04.00 बजे से सायं 06.00 बजे शीतकाल सायं 03.00 बजे से सायं 05.00 बजे
		योग	6 दिन	प्रात:06.30 बजे से प्रात: 08.30 बजे तक एवं सायं06.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक
		टेनिस	5 दिन	सायं03.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		स्केटिंग	5 दिन	सायं03.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		तायेकवान्डू	5 दिन	सायं04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		शतरंज	5 दिन	सायं05.00 बजे से सायं 07.00

				बजे तक
		बास्केटबॉल	5 दिन	सायं04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		नेटबॉल	5 दिन	सायं04.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक
		अन्य मार्शियल आर्ट (कराटे, कुंग-फु, कलारीपयट्टु, क्रव मागा आदि)	5 दिन	सायं 06.00 बजे से सायं 08.00 बजे तक
		डांस	3 दिन	सायं05.30 बजे से सायं 07.30 बजे तक
9.	मेजर ध्यान चंद खेल परिसर	टेबल टेनिस	5 दिन	सायं5 बजे से 7 बजे तक
		मिनी फुटबॉल (मरम्मत के बाद ग्राउंड उपलब्धता के विषयाधीन)	5 दिन	ग्रीष्मकाल सायं4 बजे से 6 बजे तक शीतकाल 3.30 बजे से 5.30 बजे तक
10.	रोहिणी खेल परिसर	ऐरोबिक्स	5 दिन	सायं5 बजे से 7 बजे तक
		टेबल टेनिस	5 दिन	सायं4 बजे से 6 बजे तक
		कराटे	5 दिन	सायं4 बजे से 6 बजे तक
		स्कवॉश	3 दिन 6 दिन	दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक
11.	राष्ट्रीय स्वाभिमान	ऐरोबिक्स	5 दिन	प्रातः 7 बजे से 8

	खेल परिसर			बजे तक एवं सायं6 बजे से 7 बजे तक
		कराटे	5 दिन	सायं4 बजे से 6 बजे तक
		क्रिकेट (डीडीसीए द्वारा क्रिकेट अकादमी खोलने के निर्णय के विषयाधीन)	5 दिन	दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक
12.	पूर्व दिल्ली खेल परिसर	स्केटिंग इंटरमीडियट और एडवांस लेवेल	6 दिन	सायं5 बजे से 7 बजे तक
		टेबल टेनिस	6 दिन	सायं4 बजे से 6 बजे तक
		स्कवैश	6 दिन	सायं4 बजे से 6 बजे तक
		वॉलीबॉल	6 दिन	सायं4 बजे से 6 बजे तक
		बैडमिंटन	6 दिन	प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3 बजे से रात्रि 6 बजे तक
		योग	6 दिन	प्रातः 6 बजे से 9 बजे तक एवं सायं4 से 7 बजे तक
13.	चिल्ला खेल परिसर	तायेकवान्डो	6 दिन	प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक एवं सायं4 से रात्रि 8 बजे तक
		ऐरोबिक्स	6 दिन	प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक एवं सायं6 से रात्रि 8 बजे तक
		बैडमिंटन	6 दिन	ग्रीष्मकाल

				प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3 से रात्रि 9 बजे तक शीतकाल प्रातः 6.30 बजे से 10.30 बजे तक एवं दोपहर 3.00 से रात्रि 8.30 बजे तक
		टेनिस (बेसिक)	6 दिन	ग्रीष्मकाल प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक एवं सायं4 बजे से 7 बजे तक शीतकाल प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक एवं दोपहर 3.30 से रात्रि 6.30 बजे तक
		टेबल टेनिस	6 दिन	ग्रीष्मकाल प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 3 से रात्रि 9 बजे तक शीतकाल प्रातः 6.30 बजे से 10.30 बजे तक एवं

				दोपहर 3.30 से रात्रि 8.30 बजे तक
14.	यमुना खेल परिसर	हॉकी	5 दिन	प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक
		फेंसिंग	5 दिन	सायं 04 से सायं 07 बजे तक
		ऐरोबिक्स	5 दिन	प्रातः 07.15 बजे से 8.15 एवं सायं 06 से 07 बजे तक
		योग-II	5 दिन	प्रातः 06 बजे से 8.00 बजे तक एवं सायं 05 से 06 बजे तक
		डांस	5 दिन	सायं 05 से 07 बजे तक
		शतरंज	5 दिन	सायं 05 से 07 बजे तक
		टेनिस (बेसिक एवं इंटरमीडिएट)	3 दिन और 6 दिन	प्रातः 06 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं सायं 03 बजे से 07 बजे तक
15.	राष्ट्रमण्डल खेल गांव खेल परिसर	योग	6 दिन	प्रातः 07.00 बजे से 9.00 बजे तक एवं सायं 06 बजे से 08 बजे तक
		टेबल टेनिस	5 दिन	सायं 04 बजे से सायं 06 बजे तक
		शूटिंग	6 दिन	प्रातः 7 बजे से प्रातः 09 बजे

				तक एवं सायं 06 बजे से 08 बजे तक
		एथलेटिक्स	6 दिन	प्रातः 07 बजे से प्रातः 09 बजे तक एवं सायं 04 बजे से 07 बजे तक
		तायकवान्डो	6 दिन	प्रातः 06 बजे से 08 बजे तक एवं सायं 04 बजे से 06 बजे तक
		क्रॉस फिट	3 दिन	प्रातः 07.00 बजे से 9.00 बजे तक एवं सायं 06 बजे से 08 बजे तक
		जिमनास्टिक	3 दिन	सायं 04 बजे से सायं 05 बजे तक
		क्रिकेट (डीडीसीए द्वारा क्रिकेट अकादमी खोलने के निर्णय के विषयाधीन)	6 दिन	प्रातः 07.00 बजे से 09.00 बजे तक एवं सायं 04.00 बजे से 07.00 बजे तक
16.	स्क्वॉश एवं बैडमिंटन स्टेडियम स्टेडियम	एरोबिक्स	6 दिन	प्रातः 06.30 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 04.00 बजे से 08.00 बजे तक
		टेबल टेनिस	6 दिन	प्रातः 07.00 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 04.00

				बजे से 06.00 बजे तक
		फेसिंग	6 दिन	प्रातः 06.30 बजे से 11.30 बजे तक एवं सायं 04.30 बजे से 08.00 बजे तक
		• स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, फेंसिंग, योग, कराटे, बॉक्सिंग, मॉय थाई (एमएमए), फिटनेस केन्द्र जो वर्तमान में स्टेडियम में चल रहे है,के अतिरिक्त अन्य खेलों/विधाओं हेतुखाली पड़े हुए निर्मित स्थानों पर कोचिंग दी जाएगी।दि.वि.प्रा. स्क्वॉश एवं बैडमिंटन स्टेडियम, सीरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली- 110049 में स्थान उपलब्ध हैं, जो किसी नई संरचना के निर्माण के प्रस्तावित शिक्षणों के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। इन स्थानों का आकार निम्नलिखित है :- i) 3000 वर्ग फुट – स्टेडियम की पूर्वी दिशा में खुला क्षेत्र ii) 11,500 वर्ग फुट – स्टेडियम की पश्चिमी दिशा में खुला क्षेत्र		